न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 40/2018

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये श्री
खेमाराम, प्रवर्तन निरीक्षक,
चौहटन, मुख्यावास बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
श्री पप्पूराम पुत्र श्री गंगाराम
मैसर्स पप्पूराम टी स्टॉल, ग्राम बाछड़ाऊ
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री विष्णु भगवान चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 06.11.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 09.05.2018 को प्रार्थी स्वंय ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स पप्पूराम टी स्टॉल, ग्राम बाछड़ाऊ तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां अप्रार्थी द्वारा मौके पर होटल मे चाय बनाकर ग्राहकों को विक्रय किये जाने का कार्य किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	053888	**BPCL**	15.600 Kg	15.400 Kg	00.200 Kg

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु उपयोग के एक गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स पिलानिया भारत गैस धोरीमन्ना के मैनेजर श्री विश्वेन्द्रसिंह पुत्र श्री रविन्द्रसिंह जाति जाट निवासी आदमपुर डाडी, जिला सर की दादरी हरियाणा को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु भगवान चौधरी द्वारा द्वारा समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया और बहस हेतु उपस्थित हुए।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स पिलानिया भारत गैस धोरीमन्ना को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत नही किया तथा वक्त बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपने घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया है, बल्कि खाली सिलेण्डर ऐजेन्सी के वितरक से भरवाने हेतु अपनी दुकान पर रखा हुआ था, जिसे प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से जब्त किया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह भी प्रकट किया कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की दुकान से सिलेण्डर जब्ती के समय कोई फर्द जब्ती तैयार नहीं की गई एवं न ही मौके पर मौतबिरान के रूबरू विधिवत कार्यवाही की गई हैं। अतः प्रार्थी का परिवाद खारिज कर जब्तशुदा सिलेण्डर प्रार्थी को पुनः लौटाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

5. हमने उभय पक्षों के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा वक्त निरीक्षण अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर मे घरेलु उपभोग के लिये प्राधिकृत गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेना पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर जब्त किया गया हैं। मौके पर फर्द जब्ती एवं मौजा जांच रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें मौतबिरान के हस्ताक्षर अंकित हैं। मौके पर अप्रार्थी से जब्त किये गये सिलेण्डर में 200 ग्राम गैस होना पाया गया है, जिससे साबित हैं कि अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का उपयोग किया जा रहा था तथा इस बाबत अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन कि खाली सिलेण्डर घरेलु उपयोग हेतु भरवाने के लिये रखा जाना मानने योग्य नही हैं। अप्रार्थी द्वारा समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद इस परिवाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना ही प्रकट करता हैं कि उसके पास प्रतिरक्षण स्वरूप कोई तथ्य व आधार मौजूद नहीं हैं, इसके विपरित प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यह परिवाद प्रस्तुत किया है, ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

7. आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर